

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल

आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 12/2024

चुनीराम पुत्र मोडूराम	जाति मेघवाल
विजयपाल	साकिन दौलतावाली
सुरेश कुमार	तहसील पीलीबंगा
हीरालाल	चुनीराम
	जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।



बनाम

1. ओमप्रकाश	पिसरान	जाति मेघवाल
2. देवीलाल	सुरजाराम	साकिन दौलतावाली
3. शान्ति पत्नी सुरजाराम		तहसील
4. भजनलाल पुत्र सुरजाराम		पीलीबंगा
5. दुलीचन्द	पिसरान	जिला
6. शिवलाल	सुलतान	हनुमानगढ़
7. सरबती पत्नी सुलतान		राजस्थान।
8. पृथ्वीराज पुत्र नानूराम		जाति
9. रानी पुत्री नानूराम		मेघवाल
10. कमला देवी पत्नी जयलाल पुत्र नानूराम		
11. राजूराम पुत्र जयलाल पुत्र नानूराम		साकिन
12. विनोद पुत्र जयलाल पुत्र नानूराम		दौलतावाली
14. लालचन्द पुत्र बृजलाल पुत्र नानूराम		
14. गोमती पत्नी फलकू पुत्र बृजलाल पुत्र नानूराम		तहसील
15. सुभाष पुत्र फलकू पुत्र बृजलाल पुत्र नानूराम		
16. शिवप्रकाश पुत्र फलकू पुत्र बृजलाल पुत्र नानूराम		पीलीबंगा
17. सन्तराम पुत्र फलकू पुत्र बृजलाल पुत्र नानूराम		जिला
18. प्रेम पुत्र फलकू पुत्र बृजलाल पुत्र नानूराम		हनुमानगढ़ राजस्थान।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा		

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता

बाबत

--:: उपस्थित अभिभाषकगण --::

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	प्रार्थी
2. श्री चानण राम	अप्रार्थी सं. 8 ता 11
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी सं. 19

--:: निर्णय --::

दिनांक :- 25.08.2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 251-क आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार से हैं

यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 टी के खाता सं. 80/14 के प.नं. 42/345 (15), प.नं. 42/346 (26), प.नं. 42/347 (35), प.नं. 42/348 (40) की कुल 9.110 हैक्. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड प्रमाणित प्रति जमाबंदी व नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 व नानूराम पुत्र रूपाराम के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 टी के खाता सं. 66/25 के प.नं. 40/346 (24), प.नं. 41/345 (16), प.नं. 41/346 (25), प.नं. 42/346 (26) की कुल 13.765 हैक्. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी व नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है।



यह कि नानूराम पुत्र रूपाराम का स्वर्गवास हो चुके है जिसके अप्रार्थी सं. 8, 9 व जयलाल बृजलाल कुल 4 वारीस है जिसमें से जयलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारीस अप्रार्थी सं. 10 ता 12 है व बृजलाल पुत्र नानूराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारीस अप्रार्थी सं. 13 व फलकू पुत्र बृजलाल है जिसमें से फलकू पुत्र बृजलाल पुत्र नानूराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारीस अप्रार्थी सं. 14 ता 18 है।

यह कि प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि चक 3 टी के प.नं. 42/348 के किला नं. 10 में ट्यूबवैल मय विधुत कनेक्शन लगाया हुआ है। जिससे अपनी दुसरे पत्थर नम्बर की भूमि को सिचाई करने के लिये प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि प.नं. 42/348 से पाईप लाईन लेकर प.नं. 42/347 व प.न. 42/346 के किला नं. 24 तक पाईप लाईन बिछाई हुई है जिसका नाका किला नं. 24 में रखा हुआ है। उससे आगे प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 व नानूराम के वारीसों अप्रार्थी सं. 8 ता 18 की मौखिक सहमति लेकर उनकी कृषि भूमि चक 3 टी के प.नं. 42/346 किला नं. 3, 8, 13, 17 में 4 फुट नीचे अच्छी कम्पनी की पाईप लाईन बिछाकर प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि प.नं. 42/345 के किला नं. 16 ता 25 में सिचाई पिछले 4 वर्षों से बिना किसी रुकावट के करता आ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण उक्त पाईप लाईन को स्वीकृत करवाना चाहते है जिससे कि प्रार्थीगण को अपनी अनकमांड कृषि भूमि में सिचाई सुविधा प्राप्त हो सके। यह कि अप्रार्थी सं. 19 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 टी के प.नं. 42/346 किला नं. 3, 8, 13, 17 में 4 फीट नीचे दबी हुई पाईप लाईन को स्वीकृति प्रदान की जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 529 दिनांक 30.06.25 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईप लाईन चालू है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी की पाईप लाईन में आने वाली भूमि धारकों को पक्षकार बनाया है। प्रार्थी द्वारा चाही गयी पाईप लाईन की स्वीकृत के अलावा अन्य कोई पाईप लाईन स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाही गयी पाईप लाईन के न अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक तथा कम दूरी की पाईप लाईन स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि के अन्तर्गत आने वाली भूमि में कोई निर्माण व बाग नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र अनुसार पाईप लाईन स्वीकृत की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 द्वारा प्रार्थना पत्र अनापति जाहिर की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क आरटीए के तहत चक 3 टी के प.नं. 42/346 किला नं. 3, 8, 13, 17 में 4 फीट नीचे दबी हुई पाईप लाईन को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 25/8/25 सुनाया गया।

( उमा मित्तल )  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन सुहायक अधिकारी पीलीबंगा  
पीलीबंगा